पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

दिनांक- 10.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-समाज की नई चेतना, साइबर सुरक्षा है अब हमारी जिम्मेदारी!"

थाना कृष्णानगर द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत अवध चौराहे पर महिलाओं और बच्चों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, साइबर अपराध, यातायात और महिला कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देकर किया जागरूक।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बहुप्रशंसित योजना **"मिशन शक्ति 5.0"** के तहत आज दिनांक **12 अक्टूबर 2025** को लखनऊ कमिश्नरेट के थाना कृष्णानगर मिशन शक्ति टीम द्वारा भोलाखेड़ा में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में, थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत भोलाखेड़ा में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजक/आयोजन स्थान -

- महिला आरक्षी बुलबुल, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- महिला आरक्षी रचना, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अवध चौराहे पर

प्रतिभागी: -

- महिला आरक्षी बुलबुल, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- महिला आरक्षी रचना, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अवध चौराहे पर महिलाए व बच्चों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

दिनांक 10.05.2026 को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत लखनऊ कमिश्नरेट के थाना कृष्णानगर टीम द्वारा थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अवध चौराहे पर महिलाओं और बच्चों को महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की गई। सर्वप्रथम, सभी उपस्थित महिलाओं को आपात स्थितियों में त्वरित सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी विस्तार से समझाई गई। इनमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (1076), वीमेन पावर लाइन (1090), इमरजेंसी एकीकृत सेवा (112), महिला हेल्पलाइन (181), साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930), एंबुलेंस सेवा (102) और इमरजेंसी एंबुलेंस (108) जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल थीं।

इसके अतिरिक्त, थाना कृष्णानगर में संचालित महिला सुरक्षा केंद्र और महिला हेल्प डेस्क की भूमिका और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। साथ ही, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

निष्कर्ष एवं महत्व

1. सामुदायिक जुड़ाव एवं सीधा संवाद: यह आयोजन पुलिस प्रशासन और समुदाय विशेषकर महिलाओं के बीच सीधे संवाद का एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ। अवध चौराहा जैसे सार्वजनिक स्थल पर आयोजन ने आम महिलाओं तक सीधे पहुंचना संभव बनाया।

2. जागरूकता का सीधा प्रसार: कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 20-25 महिलाओं एवं बच्चों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों और उनके उपयोग की सीधी जानकारी प्रदान की गई। इससे उन्हें आपात स्थितियों में त्वरित और सही कार्यवाही करने में मदद मिलेगी।

3. महिला सुरक्षा संसाधनों से परिचय: थाना स्तर पर उपलब्ध महिला सुरक्षा केंद्र और हेल्प डेस्क जैसे विशेष संसाधनों के बारे में लोगों को अवगत कराना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इससे महिलाओं का पुलिस तंत्र के प्रति विश्वास बढ़ेगा और वे शिकायत दर्ज करने में कम झिझक महसूस करेंगी।

4. सरकारी योजनाओं तक पहुंच: महिला कल्याण से जुड़ी विभिन्न राज्य सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें उनके अधिकारों और उपलब्ध लाभों के प्रति जागरूक किया गया। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम है।

5. मिशन शक्ति अभियान की सार्थकता: यह कार्यक्रम "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर ले जाने का एक सफल प्रयास था। इससे स्पष्ट है कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता केवल कागजी दस्तावेज तक सीमित नहीं है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

दिनांक- 10.05.2026

मिशन शक्ति 5.0-समाज की नई चेतना, साइबर सुरक्षा है अब हमारी जिम्मेदारी!"

थाना कृष्णानगर द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत अवध चौराहे पर महिलाओं और बच्चों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, साइबर अपराध, यातायात और महिला कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देकर किया जागरूक।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बहुप्रशंसित योजना **"मिशन शक्ति 5.0"** के तहत आज दिनांक **12 अक्टूबर 2025** को लखनऊ कमिश्नरेट के थाना कृष्णानगर मिशन शक्ति टीम द्वारा भोलाखेड़ा में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में, थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत भोलाखेड़ा में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजक/आयोजन स्थान -

- महिला आरक्षी बुलबुल, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- महिला आरक्षी रचना, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अवध चौराहे पर

प्रतिभागी: -

- महिला आरक्षी बुलबुल, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- महिला आरक्षी रचना, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अवध चौराहे पर महिलाए व बच्चों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

दिनांक 10.05.2026 को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत लखनऊ कमिश्नरेट के थाना कृष्णानगर टीम द्वारा थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत अवध चौराहे पर महिलाओं और बच्चों को महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की गई। सर्वप्रथम, सभी उपस्थित महिलाओं को आपात स्थितियों में त्वरित सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी विस्तार से समझाई गई। इनमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (1076), वीमेन पावर लाइन (1090), इमरजेंसी एकीकृत सेवा (112), महिला हेल्पलाइन (181), साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930), एंबुलेंस सेवा (102) और इमरजेंसी एंबुलेंस (108) जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल थीं।

इसके अतिरिक्त, थाना कृष्णानगर में संचालित महिला सुरक्षा केंद्र और महिला हेल्प डेस्क की भूमिका और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। साथ ही, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

निष्कर्ष एवं महत्व

1. सामुदायिक जुड़ाव एवं सीधा संवाद: यह आयोजन पुलिस प्रशासन और समुदाय विशेषकर महिलाओं के बीच सीधे संवाद का एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ। अवध चौराहा जैसे सार्वजनिक स्थल पर आयोजन ने आम महिलाओं तक सीधे पहुंचना संभव बनाया।

2. जागरूकता का सीधा प्रसार: कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 20-25 महिलाओं एवं बच्चों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों और उनके उपयोग की सीधी जानकारी प्रदान की गई। इससे उन्हें आपात स्थितियों में त्वरित और सही कार्यवाही करने में मदद मिलेगी।

3. महिला सुरक्षा संसाधनों से परिचय: थाना स्तर पर उपलब्ध महिला सुरक्षा केंद्र और हेल्प डेस्क जैसे विशेष संसाधनों के बारे में लोगों को अवगत कराना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इससे महिलाओं का पुलिस तंत्र के प्रति विश्वास बढ़ेगा और वे शिकायत दर्ज करने में कम झिझक महसूस करेंगी।

4. सरकारी योजनाओं तक पहुंच: महिला कल्याण से जुड़ी विभिन्न राज्य सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें उनके अधिकारों और उपलब्ध लाभों के प्रति जागरूक किया गया। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम है।

5. मिशन शक्ति अभियान की सार्थकता: यह कार्यक्रम "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर ले जाने का एक सफल प्रयास था। इससे स्पष्ट है कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता केवल कागजी दस्तावेज तक सीमित नहीं है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

दिनांक- 10.05.2026

थाना गोसाईगंज की मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबरो से किया जागरूक।

थाना गोसाईगंज की मिशन शक्ति टीम ने कस्बा बाजार थाना गोसाईगंज पर 'मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति केन्द्र,पिंक बूथ, महिला हेल्पडेस्क व गुड टच, बैड टच की विस्तृत जानकारी के साथ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना नगराम मिशन शक्ति टीम द्वारा जागरूकता अभियान के तहत **कस्बा बाजार थाना गोसाईगंज में जाकर** महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं व बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला उपनिरीक्षक सोनम राय, थाना गोसाईगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- मिशन शक्ति टीम थाना गोसाईगंज,लखनऊ कमिश्नरेट
- कस्बा बाजार थाना गोसाईगंज लखनऊ।

प्रतिभाग-

- ➢ महिला उपनिरीक्षक सोनम राय, थाना गोसाईगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- ➢ मिशन शक्ति टीम, थाना गोसाईगंज,लखनऊ कमिश्नरेट
- ➢ कस्बा बाजार थाना गोसाईगंज लखनऊ में जाकर छात्राओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, आज दिनांक 10.05.2026 को थाना गोसाईगंज की मिशन शक्ति टीम द्वारा **कस्बा बाजार थाना गोसाईगंज में** जाकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत महिला उपनिरीक्षक सोनम राय व मिशन शक्ति टीम द्वारा छात्राओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

मिशन शक्ति टीम द्वारा छात्राओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति केन्द्र, एन्टीरोमियो टीम तथा महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। साथ ही उन्हें बताया गया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न, साइबर अपराध अथवा महिलाओं एवं बालिकाओं से सम्बन्धित अपराध होने पर तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त की जा सकती है।

कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को "गुड टच एवं बैड टच" के विषय में सरल एवं प्रभावी तरीके से जानकारी दी गयी तथा उन्हें अपने प्रति होने वाले अनुचित व्यवहार की पहचान कर तत्काल अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा पुलिस को सूचित करने हेतु प्रेरित किया गया। टीम द्वारा छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने एवं किसी भी घटना को छिपाने के बजाय खुलकर बताने के लिए जागरूक किया गया।

इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति टीम द्वारा सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं हेल्पलाइन नम्बर जैसे- 1090, 112, 181, 1076 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 आदि के बारे में जानकारी दी गयी। उपस्थित छात्राओं एवं महिलाओं को जागरूकता सम्बन्धी पम्पलेट वितरित कर महिला सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को यह संदेश दिया गया कि पुलिस उनकी सुरक्षा एवं सहायता हेतु सदैव तत्पर है तथा किसी भी समस्या की स्थिति में बिना संकोच पुलिस से सम्पर्क करें।

यह जागरूकता सत्र न केवल छात्राओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित रहने का ज्ञान प्रदान करने में सफल रहा, बल्कि उन्हें कानूनी अधिकारों और उपलब्ध संसाधनों के प्रति सजग बनाकर उन्हें सशक्त भी बनाया। ऐसे प्रयास महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण की नींव रखते हैं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

"मिशन शक्ति 5.0

महिलाओं व बालिकाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा साइबर अपराधों से बचाव हेतु किया जागरूक।

दिनांक- 10.05.2026

थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा पुरनिया थाना अलीगंज में महिलाओं ,बालिकाओं व छोटे बच्चों को पम्पलेट वितरण करके महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल, "मिशन शक्ति महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल-

- महिला उ0नि0 ऊषा सिंह, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी प्रीति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना अलीगंज क्षेत्रान्तर्गत पुरनिया में

प्रतिभाग-

✓ महिला उ0नि0 ऊषा सिंह, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
✓ महिला आरक्षी प्रीति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
✓ थाना अलीगंज क्षेत्रान्तर्गत पुरनिया में महिलाओ एवं बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10.05.2026 को मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत पुरनिया थाना अलीगंज में महिलाओं ,बालिकाओं व छोटे बच्चों को पम्पलेट वितरण किया।

बच्चों/महिलाओं को महिलाओ की सुरक्षा, नारी स्वलम्बन, साईबर जागरूकता आदि के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा मिशन शक्ति के तहत विभिन्न हेल्प लाईन नम्बर 1090 वूमेन पावर लाइन, 181 वीमेन हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 101 अग्निशमन सेवा, 102 गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एंबुलेंस हेल्पलाइन 108 एंबुलेंस सेवा, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1930 साइबर हेल्पलाइन एवं up cop आदि के साथ महिलाओ को समर्पित सरकारी योजनाओ के बारे में जागरूक किया गया।

"मिशन शक्ति 5.0 हमारे समाज के लिए एक सुदृढ़ और प्रगतिशील भविष्य की नींव रखने का प्रतीक है। यह मिशन ऐसे समाज के निर्माण के संकल्प को दर्शाता है, जहाँ हर बच्चा, विशेष रूप से बच्चियाँ, सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त होकर अपने सपनों का भविष्य गढ़ सकें। इसका उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उनके सफर में एक मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका निभाना है, ताकि वे हर चुनौती का सामना करते हुए आत्मनिर्भर बन सकें और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे सकें।"

उद्देश्य:

1. **जागरूकता का प्रसार:** महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करना। इसमें नारी स्वावलंबन, साइबर सुरक्षा और 'गुड टच-बैड टच' जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
2. **मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचय कराना:** आम जनता, विशेष रूप से महिलाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के कार्यों, उद्देश्यों और उपलब्ध सेवाओं (जैसे कानूनी सहायता, परामर्श, संरक्षण) की जानकारी देना ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर इनका लाभ उठा सकें।
3. **हेल्पलाइन सेवाओं का प्रचार-प्रसार:** महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न आपातकालीन और सहायता सेवाओं (जैसे 1090, 181, 112, 1098, 1930 आदि) के बारे में व्यापक पैमाने पर जानकारी पहुँचाना, ताकि संकट की स्थिति में तुरंत मदद ली जा सके।
4. **सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना:** एक ऐसे सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण का निर्माण करना जहाँ महिलाएं और बच्चे बिना किसी भय के अपना विकास कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
5. **सामुदायिक सहभागिता:** एंटी-रोमियो टीम और मिशन शक्ति टीम के माध्यम से सीधे तौर पर समुदाय तक पहुँचकर, सुरक्षा और जागरूकता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

"मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज,मिशन शक्ति का यही प्रयास"

थाना माल क्षेत्र के अंतर्गत मिशन शक्ति केन्द्र थाना माल लखनऊ में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों,सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके।

दिनांक –10.05.2026

लखनऊ, दिनांक: 22 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना माल क्षेत्र में रविवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर **मिशन शक्ति केंद्र** स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

आयोजन/आयोजन स्थल-

- ✓ म0हे0का0 2581 अनुराधा सिंह थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ म0का0 326 शिल्पा चौधरी थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ थाना **माल क्षेत्र**, लखनऊ के अंतर्गत **मिशन शक्ति केन्द्र थाना माल लखनऊ** में मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आयोजक टीम-

- म0हे0का0 अनुराधा सिंह थाना माल कमिश्नरेट लखनऊ।
- म0का 326 शिल्पा चौधरी थाना माल कमिश्नरेट लखनऊ।
- थाना माल के अन्य महिला कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

थाना **माल क्षेत्र,** लखनऊ के अंतर्गत **मिशन शक्ति केन्द्र थाना माल लखनऊ** में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके **कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों, सरकारी योजनाओं** एवं **आत्मरक्षा के तरीकों** के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं।

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु** कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:

- **1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)**
- **181 (महिला हेल्पलाइन)**
- **112 (आपातकालीन सेवा)**
- **1098 (चाइल्डलाइन)**
- **1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)**
- **UP-COP मोबाइल ऐप** का उपयोग

इसके साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे**, **फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट**, एवं **एंटी रोमियो स्क्वॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

मुख्य जागरूकता बिंदु:-

1. महिलाओं को **आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता** के लिए प्रेरित किया गया।
2. **"गुड टच" और "बैड टच"** के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
3. **साइबर अपराधों से सुरक्षा** हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई गई।
4. **बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं** से संबंधित जानकारी दी गई।
5. उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु **पम्फलेट और जानकारी पत्रक वितरित किए गए।**

उद्देश्य एवं महत्व-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास करा रहा है, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रख रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक-10.05.2026

मिशन शक्ति 5.0

महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को सुरक्षित साइबर अपराध व हेल्पलाइन सुविधाओं की दी गई जानकारी

मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना इटौंजा क्षेत्र के वीरेश्वर मन्दिर पर जाकर महिला श्रद्धालुओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर, थानों पर स्थापित महिला शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी जैसी सुविधाओं के बारे में जानकारी देकर साइबर क्राइम एवं यूपी कॉप एप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से किया गया जागरूक।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण एवं पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशों के अनुपालन में, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान करने हेतु 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ किया गया है। यह अभियान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है।

अभियान के तहत, श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में, जनपद लखनऊ में स्थित सभी 54 थानों पर 'मिशन शक्ति केंद्र' की स्थापना की जा चुकी है। इन केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं से संबंधित शिकायतों और समस्याओं का त्वरित एवं संवेदनशील निस्तारण सुनिश्चित करना है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- उपनिरीक्षक सैय्यद मोहम्मद रईश, थाना इटौंजा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला उपनिरीक्षक सुमन सैनी, थाना इटौंजा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी पूजा शर्मा, थाना इटौंजा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी प्रियंका गौतम, थाना इटौंजा, लखनऊ कमिश्नरेट
- आरक्षी रजत कुमार,थाना इटौंजा, लखनऊ कमिश्नरेट
- वीरेश्वर मन्दिर थाना इटौंजा, लखनऊ कमिश्नरेट

प्रतिभाग-

- उपनिरीक्षक सैय्यद मोहम्मद रईश, थाना इटौंजा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला उपनिरीक्षक सुमन सैनी, थाना इटौंजा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी पूजा शर्मा, थाना इटौंजा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी प्रियंका गौतम,थाना इटौंजा, लखनऊ कमिश्नरेट
- आरक्षी रजत कुमार, थाना इटौंजा, लखनऊ कमिश्नरेट
- वीरेश्वर मन्दिर थाना क्षेत्र इटौंजा, पर जाकर आई महिला श्रद्धालुओं को किया गया जागरुक

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 10.05.2026 को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत थाना क्षेत्र इटौंजा में वीरेश्वर मन्दिर पर जाकर मिशन शक्ति टीम द्वारा मन्दिर पर आयीं महिला श्रद्धालुओं से सीधे संवाद स्थापित कर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान उन्हें थाना स्तर पर उपलब्ध विशिष्ट सुविधाओं जैसे महिला शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ और पिंक स्कूटी के उद्देश्य व उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया।

साथ ही, उन्हें साइबर क्राइम से बचाव के उपाय और यूपी-कोप (UP COP) एप्लिकेशन के माध्यम से पुलिस सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। विभिन्न आपात सहायता सेवाओं के हेल्पलाइन नंबर (जैसे- 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) आदि) का प्रसार किया गया और इनके उपयोग के तरीके समझाए गए।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

1. महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सुरक्षा योजनाओं (जैसे हेल्पलाइन नंबर 1090, 181, 112, 1930, एंटी-रोमियो टीम, महिला शक्ति केंद्र, पिंक बूथ) की व्यापक जानकारी प्रदान करना।
2. उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुनकर, थाना स्तर पर उपलब्ध समाधान तंत्र (महिला हेल्प डेस्क, पिंक स्कूटी आदि) से अवगत कराना और मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
3. साइबर अपराध और उससे बचाव के उपायों के बारे में शिक्षित करना तथा यूपी-कोप एप जैसे डिजिटल सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सिखाना।
4. समग्र रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करते हुए, उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का त्वरित और प्रभावी समाधान पाने के लिए आवश्यक ज्ञान और आत्मविश्वास से लैस करना।

निष्कर्ष-

उपरोक्त कार्यक्रम मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत एक सार्थक पहल सिद्ध हुआ। इसके माध्यम से थाना इटौंजा में उपस्थित महिलाओं को उनकी सुरक्षा एवं अधिकारों से संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान की गई, जिसमें विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं, थाना-स्तरीय सुविधाओं, साइबर सुरक्षा उपायों तथा यातायात नियमों का समावेश था। कार्यक्रम ने न केवल महिलाओं को आवश्यक ज्ञान और संसाधनों से सशक्त बनाया, बल्कि उन्हें अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रोत्साहित भी किया। यह आयोजन महिला सुरक्षा एवं जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ तथा भविष्य में इसी प्रकार के सामुदायिक सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-763
दिनांक-10.05.2026

जोन-पूर्वी/ थाना-विकासनगर

- **जिला बदर की अवधि का उल्लंघन करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही:-

थाना कैसरबाग, लखनऊ पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त प्रिंस सोनकर उर्फ जोजो सोनकर पुत्र राजा सोनकर निवासी 17बी बाल्दा कालोनी घसियारी मण्डी थाना कैसरबाग लखनऊ को थाना विकासनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा वाद संख्या:-10(05)/2026 सरकार बनाम जोजो उर्फ प्रिंस सोनकर थाना कैसरबाग के मामले में उत्तर प्रदेश 06.04.2026 के माध्यम से 06 माह के लिए जनपद लखनऊ से जिला बदर घोषित करने का आदेश पारित किया गया था।

उक्त आदेश की सूचना अभियुक्त को दिनाँक 10.04.2026 को अभियुक्त के घर पर चस्पा करते हुए अवगत कराया गया था तथा पारित आदेश का ज्ञान, आशय एवं विश्वास होते हुए भी अपने आपराधिक प्रवृत्ति को और ज्यादा विस्तार देते हुये थाना विकासनगर क्षेत्र में उपस्थित होकर जानबूझकर उल्लंघन किया गया, उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/10 के अन्तर्गत अपराध संख्या 86/2026 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

02-मॉडस ऑपरेंडी:-

अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने का कृत्य किया गया है।

03-अभियुक्त का विवरण/नाम पता-

(1) प्रिंस सोनकर उर्फ जोजो सोनकर उम्र लगभग-25 वर्ष पुत्र राजा सोनकर निवासी 17बी बाल्दा कालोनी घसियारी मण्डी थाना कैसरबाग लखनऊ ।

04-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

(1) अपराध संख्या 86/2026 धारा 3/10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 थाना विकासनगर लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली थाना विकासनगर की पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भानु प्रताप सिंह, बीट प्रभारी लेखराज पन्ना।
2. उ0नि0 राम दुलारे वर्मा।
3. मुख्य आरक्षी अवध किशोर सिंह।
4. आरक्षी राघवेन्द्र प्रताप सिंह।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट-सं-756
दिनांक-10.05.2026

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन विषय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

मुख्य बिंदु :

- यूपी-112 एवं यातायात पुलिस के 100 पुलिसकर्मियों ने प्रशिक्षण में किया प्रतिभाग
- योगाचार्य डॉ. सुधीर मिश्रा ने योग एवं तनाव नियंत्रण के प्रभावी उपायों की दी जानकारी व तनावमुक्त एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने हेतु किया गया प्रेरित
- पुलिसकर्मियों को योगासन एवं मानसिक संतुलन बनाए रखने के व्यावहारिक अभ्यास कराए गए
- ड्यूटी के दौरान मानसिक दबाव कम करने एवं कार्यक्षमता बढ़ाने पर दिया गया विशेष जोर
- पुलिस कर्मियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण हेतु कमिश्नरेट स्तर पर सतत प्रयास जारी

कार्यक्रम का आयोजन एवं कार्यस्थल :

यह कार्यक्रम संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) **श्रीमती अपर्णा कुमार** एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) **श्री बबलू कुमार** के प्रभावी मार्गदर्शन में तथा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) **श्री अमित कुमावत**, पुलिस उपायुक्त यातायात **श्रीमती रवीना त्यागी** एवं पुलिस उपायुक्त यूपी-112 कमिश्नरेट लखनऊ **डॉ. दीक्षा शर्मा** के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।

कार्यशाला का सफल संचालन सहायक पुलिस आयुक्त (महिला अपराध/ट्रेनिंग सेल) **सुश्री सौम्या पाण्डेय** के पर्यवेक्षण में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की Specialized Training शाखा द्वारा आज दिनांक 10.05.2026 को **रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ** में **"मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन"** विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

स्थान : रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ
आयोजक : स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग शाखा, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
विषय : मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन विषयक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला
मुख्य प्रशिक्षक : डॉ. श्री सुधीर मिश्रा, योगाचार्य, लखनऊ
प्रतिभागी : यूपी-112 एवं यातायात पुलिस के 100 अधिकारी/कर्मचारी

प्रशिक्षण का उद्देश्य :

इस प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उक्त पुलिसकर्मियों को मानसिक रूप से सशक्त बनाना, तनावपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर कार्य क्षमता विकसित करना तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली के प्रति जागरूक करना था।

प्रतिभागिता एवं प्रशिक्षण व्यवस्था : विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण :

कार्यक्रम में यूपी-112 एवं यातायात पुलिस में तैनात कुल **100 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों** ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला के दौरान योगाचार्य **डॉ. श्री सुधीर मिश्रा** द्वारा पुलिसकर्मियों को मानसिक तनाव के कारण, उसके प्रभाव एवं उससे बचाव के प्रभावी उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षक द्वारा बताया गया कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अत्यंत चुनौतीपूर्ण एवं तनावपूर्ण होती है, जिसके कारण मानसिक दबाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऐसे में नियमित योग, ध्यान एवं प्राणायाम न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि शारीरिक ऊर्जा एवं कार्यक्षमता को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

योग एवं प्राणायाम अभ्यास

प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया। साथ ही तनाव नियंत्रण, आत्मविश्वास वृद्धि, सकारात्मक सोच एवं कठिन परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

प्रशिक्षण के प्रमुख विषय :

प्रशिक्षण के दौरान निम्न विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई—

- **मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन**
- **योग एवं प्राणायाम का महत्व**
- **तनाव नियंत्रण के प्रभावी उपाय**
- **सकारात्मक सोच एवं आत्मविश्वास वृद्धि**
- **ड्यूटी के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखना**
- **ध्यान एवं योगासन का व्यावहारिक अभ्यास**
- **चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्यक्षमता बढ़ाने के उपाय**
- **स्वस्थ एवं तनावमुक्त जीवनशैली अपनाने हेतु जागरूकता**

प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया

कार्यक्रम में उपस्थित पुलिसकर्मियों ने प्रशिक्षण सत्र को **अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक बताया।** प्रशिक्षण के दौरान योग एवं ध्यान के माध्यम से तनावमुक्त जीवनशैली अपनाने तथा दैनिक जीवन में नियमित योगाभ्यास करने हेतु प्रेरित किया गया।

भविष्य की कार्ययोजना :

कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा भविष्य में भी पुलिसकर्मियों हेतु समय-समय पर मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। **यूपी-112, यातायात एवं फील्ड ड्यूटी** में तैनात पुलिसकर्मियों को नियमित योग एवं प्राणायाम सत्रों से जोड़ा जाएगा। पुलिस बल की कार्यक्षमता एवं मानसिक संतुलन बनाए रखने हेतु **विशेषज्ञों** द्वारा जागरूकता **कार्यशालाओं** का आयोजन किया जाएगा।

तनावमुक्त एवं स्वस्थ कार्य **वातावरण विकसित** करने के उद्देश्य से पुलिसकर्मियों को **नियमित परामर्श** एवं **प्रेरणात्मक सत्र** उपलब्ध कराए जाएंगे। पुलिसकर्मियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण हेतु कमिश्नरेट स्तर पर **विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर संचालित** किए जाएंगे।

निष्कर्ष :

“पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे।”

- पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

“आपकी सुरक्षा, हमारी प्रतिबद्धता”

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-760
दिनांक-10.05.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-नाका

➢ **विगत 04 वर्ष से पलायित नाबालिग बालिका को थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा सकुशल किया गया बरामद।**

01-कार्यवाही-

दिनांक 10.05.2026 को थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा/पलायित नाबालिग बालिकाओं की तलाश एवं बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए थाना नाका हिण्डोला पर पंजीकृत मु0अ0सं0-180/22 धारा 363 भादवि से संबंधित विगत लगभग 04 वर्ष से पलायित नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया गया है। बरामद बालिका को हरिजन कॉलोनी, जनपद दतिया, मध्य प्रदेश से पुलिस टीम द्वारा खोजबीन एवं सतत प्रयासों के उपरांत बरामद किया गया। बरामदगी के उपरांत बालिका को नियमानुसार संरक्षण में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी मुकदमा श्री अजय प्रकाश पुत्र स्व0 श्री प्रेम दत्त, मंत्री श्रीमद् दयानन्द बाल सदन, मोतीनगर, लखनऊ द्वारा थाना नाका हिण्डोला पर लिखित सूचना दी गई थी कि दिनांक 02.09.2022 को बाल सदन में निवासरत एक नाबालिग बालिका अचानक बिना बताये कहीं चली गई थी। काफी खोजबीन के बावजूद बालिका का कोई पता न चलने पर थाना नाका हिण्डोला पर मु0अ0सं0-180/22 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना नाका हिण्डोला पुलिस टीम द्वारा लगातार विभिन्न माध्यमों से तलाश एवं सूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर हरिजन कॉलोनी, दतिया (मध्य प्रदेश) में दबिश देकर नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया गया। बरामदगी के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

03-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0- 180/22 धारा 363 भादवि थाना नाका हिण्डोला लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री अभिनव कुमार वर्मा थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ
2- व0उ0नि0 अवधेश कुमार यादव थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ
3- उ0नि0 कुलदीप सिंह थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ
4- उ0नि0 उपेन्द्र सिंह थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ
5- म0का0 रजिया बानों थाना नाका हिण्डोला कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-761
दिनांक-10.05.2026

जोन-दक्षिणी/थाना-मोहनलालगंज

➢ **कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना मोहनलालगंज पर दिनांक 11.12.2025 को शिकायतकर्ता समीर मिर्जा पुत्र स्व0 कैसर मिर्जा निवासी ख्यालीगंज, थाना कैसरबाग, लखनऊ द्वारा मु0अ0सं0 497/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि उनकी पैतृक संपत्ति गाटा संख्या 236/282/352/655/682/684/690 आदि, स्थित ग्राम अमेठी तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ, पर फरीद मिर्जा व अन्य द्वारा कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध कब्जा एवं धोखाधड़ी के माध्यम से उक्त भूमि पर अपना दावा किया जा रहा है तथा हड़पने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्त मो0 फरीद मिर्जा पुत्र मो0 खालिद ने स्वयं को वादी के स्व0 चाचा खुसरू मिर्जा का वारिस दर्शाते हुए न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था, जबकि जांच में प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी एवं कूटरचित पाए गए। विवेचना में यह भी तथ्य सामने आया कि उक्त कार्य सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र के तहत अन्य साथियों के साथ मिलकर किया गया। जांच के दौरान अभियुक्त मो0 अशफाक मिर्जा उर्फ बाबू मियां, का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 09.05.2026 को थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मो0 अशफाक मिर्जा उर्फ बाबू मियां पुत्र स्व0 हैदर मिर्जा निवासी 155/324 महेश प्रसाद स्ट्रीट, मौलवीगंज, थाना अमीनाबाद, लखनऊ उम्र करीब 67 वर्ष को समय करीब 17.45 बजे बाम्बे इलेक्ट्रिक्स की दुकान अकबरीगेट नखखास चौक से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त अशफाक मिर्जा द्वारा बताया गया कि वह मो0 फरीद मिर्जा का रिश्तेदार है तथा वह फरीद मिर्जा के कहने पर विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता था। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया कि उसके नाम से बैंक खाता खुलवाया गया तथा कई दस्तावेजों एवं बैंक संबंधी कार्यवाहियों में उसका उपयोग किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा मो0 फरीद मिर्जा,एवं अन्य व्यक्तियों के संपर्क में रहकर उनके कहने पर न्यायालय एवं बैंक संबंधी कार्यों में सहयोग करने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकरण का मुख्य अभियुक्त मो0 फरीद मिर्जा न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, अन्य अभियुक्तों के सम्बन्ध में गहनता से विवेचना की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.मो0 अशफाक उर्फ बाबू मियां पुत्र स्व0 हैदर मिर्जा उम्र करीब 67 वर्ष निवासी म0नं0 155/324 महेश प्रसाद स्ट्रीट मौलवीगंज थाना अमिनाबाद जनपद लखनऊ

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 497/25 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएसथाना मोहनलालगंज लखनऊ ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- कोतवाली मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-758
दिनांक-10.05.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-काकोरी

- **काकोरी पुलिस टीम द्वारा अवैध रुप से शराब की बिक्री करने वाले 02 नफर शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 35 अदद देशी शराब 200 ML विंडीज पाऊच बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.05.2026 को उ0नि0 अंकित यादव मय हमराह का0 अजीत कुमार, का0 गौरव भदौरिया, का0 अमित बाबू के साथ देखभाल संदिग्ध वाहन व्यक्ति/वस्तु, शान्ति सुरक्षा व्यवस्था व अवैध शराब बिक्री रोकथाम में दुर्गागंज चौराहा के पास मामूर था कि पीआरवी 6378 से सूचना प्राप्त हुई कि शीतला माता मन्दिर कस्बा काकोरी के पास एक व्यक्ति खुले में शराब बेंच रहा है। उक्त सूचना पर उ0नि0 उपरोक्त मय हमराह फोर्स के मौके पर पहुंचे तो देखा कि देशी ठेका हाता हजरत साहब के पास दो व्यक्ति अवैध रूप से देशी शराब बेच रहे हैं कि एक बारगी दबिश देकर दो व्यक्तियों को 35 अदद देशी शराब 200 ML विंडीज पाऊच के साथ समय 09.10 बजे अभियुक्तगण 1.राम कुमार कश्यप पुत्र स्व0 ईश्वरदीन निवासी बरगदतला थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 51 वर्ष 2.रवि कुमार रावत पुत्र लालता प्रसाद निवासी शेखसादी मोहल्ला कस्बा काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष को पकड़ लिया पकड़े गये व्यक्तियों से शराब बेचने के सम्बन्ध में लाईसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहे अभियुक्तगण राम कुमार कश्यप व रवि कुमार रावत उपरोक्त को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 164/2026 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राम कुमार कश्यप पुत्र स्व0 ईश्वरदीन निवासी बरगदतला थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 51 वर्ष
2. रवि कुमार रावत पुत्र लालता प्रसाद निवासी शेखसादी मोहल्ला कस्बा काकोरी जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष

03-बरामदगी का विवरण:-

- 35 अदद देशी शराब 200 ML विंडीज पाऊच

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री अंकित यादव थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
2. का0 अजीत कुमार थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
3. का0 गौरव भदौरिया थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।
4. का0 अमित बाबू थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-762

दिनांक-10.05.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर विस्तार

- **थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस टीम द्वारा शालीमार लखनऊ के पास से एल्युमिनियम की स्ट्रीट लाईट पोल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद एल्युमिनियम की स्ट्रीट लाईट पोल (कीमत लगभग 25,000 रूपये) बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.05.2026 को वादी मुकदमा श्री सुमन्त सिंह प्रमुख सुरक्षा अधिकारी शालीमार कॉर्प लिमिटेड थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ के द्वारा पुलिस को तहरीरी सूचना दी गई कि विपक्षीगण द्वारा शालीमार वन वर्ड के स्टील यार्ड से 72 स्टील के पोल की चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दिया गया था।

उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 86/2026 धारा 305(a) बीएनएस थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ बनाम बाइस्तव व अज्ञात सहयोगी के पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं अभियुक्तगणों की तलाश सुरागरसी-पतारसी के क्रम में उक्त मुकदमें के अभियुक्तगण अंजीत रावत पुत्र राकेश रावत निवासी-ग्राम बाघामऊ थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष व शोभित यादव पुत्र महेश यादव निवासी-ग्राम बाघामऊ लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष के कब्जे से 01 अदद एल्यूमिनियम स्ट्रीट लाईट पोल को बरामद करते हुए आज दिनांक 10.05.2026 को समय रात्रि करीब 00.50 बजे- बंधा रोड, बाघामऊ गोमतीनगर विस्तार लखनऊ से अभियुक्त अंजीत रावत व शोभित यादव उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है एंव घटना मे प्रयुक्त 01 अदद वाहन संख्या-UP32QX9153 का धारा 207 एमबी एक्ट में दाखिल किया गया व मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना से साक्ष्य प्राप्त हुए है कि मुकदमें में भागे हुए अभियुक्तगणो अंशु राजपूत, कुनाल कश्यप, आर्यन कश्यप, पवन गौतम, आयुष यादव, प्रिन्स कश्यप, रमन व अभियुक्तगण उपरोक्त के द्वारा 72 स्टील के पोल चोरी किये है व उन्हे कबाड़ियों के यहां बेंच दिया गया है जिसमें से अभियुक्तगण अंशु राजपूत, कुनाल कश्यप, आर्यन कश्यप, पवन गौतम, आयुष यादव, प्रिन्स कश्यप, रमन को वांछित किया गया है तथा कबाडी के सम्बन्ध मे अकब से जानकारी कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।

02-पंजीकृत अभियोग (अनावरित अभियोग)-

1.मु0अ0सं0-086/2026 धारा-305(a) /317(2) बीएनएस थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अंजीत रावत पुत्र राकेश रावत निवासी-ग्राम बाघामऊ थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष
2. शोभित यादव पुत्र महेश यादव निवासी-ग्राम बाघामऊ जनपद लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष

04-बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद एल्यूमिनियम स्ट्रीट लाईट पोल

05 आपराधिक इतिहास अंजीत रावत

1-मु0अ0सं0 140/2023 धारा 376/377/384 भादवि व 66 E IT ACT थाना आलमबाग लखनऊ

06 आपराधिक इतिहास शोभित यादव

1-मु0अ0सं0 82/2025 धारा 304(2) बीएनएस गोमतीनगर विस्तार लखनऊ

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मिथिलेश सिंह थाना गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ (विवेचक)
2. उ0नि0 श्री गौरीशंकर चौबे थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।
4. का0 रविन्द्र कुमार थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-757
दिनांक-10.05.2026

जोन-पूर्वी/थाना-चिनहट

- **थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा यातायात व्यवस्था के दौरान यातायात आरक्षी के साथ दुर्व्यवहार करने व आरक्षी को कार रोकने के प्रयास के दौरान घसीटने वाला 01 नफर शातिर अभियुक्त कार चालक को गिरफ्तार किया गया।**

01-सक्षिप्त विवरण-

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-245/26 धारा 121(1)/109(1) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त कार KIA Carens नंबर UP32PC4498 का चालक सत्यम वर्मा पुत्र फूल चंद्र वर्मा पता ग्राम शिवदास पुर थाना पूरा कलंदर जिला अयोध्या 22 वर्ष लगभग को जगनपुर ईदगाह से 100 मीटर लखनऊ की तरफ अयोध्या लखनऊ मार्ग थाना रौनाही जिला अयोध्या से गिरफ्तार किया गया। जिसको हिरासत पुलिस में लेकर गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02-कार्यवाही का विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 10.05.2026 को वादी मुकदमा आरक्षी गौरब बंसल यातायात पुलिस लाइन लखनऊ द्वारा विपक्षी द्वारा सरकारी कार्य में बाधा व वादी की हत्या के उद्देश्य से उसको टक्कर मारने के संबन्ध में मु0अ0सं0-245/26 धारा-121(1)/109(1) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ बनाम- कार KIA Carens नंबर UP32PC4498 का चालक अज्ञात के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री मोहित कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है। उच्चाधिकारीगण द्वारा उक्त प्रकरण का तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर टीमें गठन की गयी। घटना स्थल का उच्चाधिकारीगण महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया। गठित टीम द्वारा अभियुक्त कार चालक सत्यम वर्मा पुत्र फूल चंद्र वर्मा पता ग्राम शिवदास पुर थाना पूरा कलंदर जिला अयोध्या 22 वर्ष को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सत्यम वर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सत्यम वर्मा पुत्र फूल चंद्र वर्मा पता ग्राम शिवदास पुर थाना पूरा कलंदर जिला अयोध्या 22 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01 मु0अ0सं0 245/26 धारा -121(1)/109(1) बीएनएस थाना चिनहट लखनऊ।

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

04- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री धनंजय कुमार सिंह थाना चिनहट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री दीपक कुमार पाण्डेय थाना चिनहट जनपद लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना चिनहट जनपद लखनऊ.
4. का0 अभिमन्यू चौधरी थाना चिनहट जनपद लखनऊ।
5. का0 प्रदीप तिवारी थाना चिनहट जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-755
दिनांक-10.05.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- बिजनौर

- *थाना बिजनौर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण।*
- *हत्या करने वाला 01 अभियुक्त व 01 बाल अपचारी गिरफ्तार।*
- *कब्जे से घटना कारित करने वाला एक चापड़ व एक रक्त लगी हुई ईंट बरामद।*

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.05.26 को वादी श्री शुभम गौतम पुत्र स्व रमेश निवासी असरफ नगर थाना बिजनौर लखनऊ, की तहरीरी सूचना पर-

- मु0अ0स0-126/2026 धारा-103 (1) बीएनएस बनाम अज्ञात व्यक्ति, इस आशय का पंजीकृत कराया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भाई सूरज पुत्र स्व0 रमेश की हत्या की गई है।
- उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी लखनऊ के निर्देशन में 03 पुलिस टीमें गठित की गयीं। जिनके द्वारा लगभग 50 सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इंटेलीजेंस व इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के आधार पर, गठित टीमों के अथक प्रयास के फलस्वरूप घटना में संलिप्त अभियुक्तों को आज दिनांक 10.05.2026 को समय करीब 02.30 बजे रात्रि को ग्राम रसूलपूर इठुरिया नाले पर बनी पुलिया से 01 अभियुक्त व 01 बालअपचारी को गिरफ्तारी कर उनकी निशादेही पर आला कत्ल चापड़ व ईंट बरामद कर बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 315 बीएनएस व 4/25 आमर्स एक्ट की बढोत्तरी कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण -

पकडे गये अभियुक्तों से मुकदमा उपरोक्त में मृतक सूरज की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो पकडे गये मुख्य अभियुक्त अनिल यादव ने बताया कि मेरी मम्मी सुषमा देवी का सूरज से प्रेम सम्बन्ध करीव 3 साल से था जिसके वारे में मुझे जानकारी थी तथा करीब 2 महीने पहले मैंने सूरज को अपनी मां के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था उस समय लोक लाज की वजह से मैं अपनी मम्मी तथा सूरज से कुछ कह नही पाया था बाद में मैंने सूरज को मना किया था कि तुम मेरे घर मत आया करो, परन्तु सूरज नही माना।

इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने प्लान बनाया कि मैं सूरज को जिन्दा नही छोडूंगा सूरज की हत्या करने के लिये मैंने अपने चाचा (नाबालिग बाल अपचारी) के साथ प्लान बनाया।

दिनांक 08.05.2026 को मै और मेरे रिश्ते के चाचा (नाबालिग बाल अपचारी) के साथ एक शादी मे जाना था कि उससे पहले सूरज को बुलाया और उसे पैसे दिये कि जाओ शराब लेकर आओ, सूरज शराब लेने गया। जिसको हम दोनों, मैं व मेरे चाचा ने दारु पीने के बहाने सूरज की ही मोटरसाइकिल पर बैठकर गांव के वाहर आम के बाग के सामने झील के पास पडे खाली प्लाट पर गये थे जहां पर हम लोगों ने बैठकर दारु पी थी योजना के तहत हम लोगो ने सूरज को ज्यादा दारु पिलायी थी

जब सूरज ज्यादा नशें में हो गया तो मैंने पहले से छुपाकर लाये गये चापड से सूरज के चेहरे पर जान से मारने के इरादे से वार किया तो सूरज ने भागने का प्रयास किया किन्तु ज्यादा नशे में होने के कारण सूरज गिर गया फिर मैंने सूरज को चापड से तथा मेरे चाचा ने ईट से सिर पर तब तक ताबडतोड वार किया जब तक सूरज मर नही गया जब हम दोनों को यकीन हो गया कि सूरज कोई हरकत नही कर रहा है तथा मर चुका है जिसके बाद हम लोगों ने सूरज का मोबाइल उसकी जेब से निकालकर, चापड व खून में सनी ईट को बगल में चरी के खेत में फेंक दिया था और हम लोग वहां से भाग गये थे।

प्राथमिक पूछताछ मे यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों ने कपड़े से खून के दाग धुलकर दोबारा वही कपड़े पहन कर शादी मे गये थे जिससे किसी को शक न हो। जब घटनास्थल पर पुलिस आयी थी तब भी हम लोग वहाँ गये थे ताकि किसी को शक न हो।

अभियुक्त अनिल कुमार यादव कक्षा 8 तक पढ़ा हुआ है। यह मॉल मे स्वीपर का कार्य करता है। जो बाल अपचारी है वह कक्षा 9 का छात्र है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-**अभियुक्त अनिल कुमार यादव पुत्र सुनील कुमार यादव निवासी ग्राम अशरफ नगर थाना बिजनौर जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष।**

02-**एक नफर बालअपचारी उम्र करीब 17 वर्ष।**

05- अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0- 126/26 धारा 103(1) /315 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिजनौर लखनऊ।

06- बरामदगी विवरण -

01-एक अदद चापड (घटना मे प्रयुक्त)

02-एक अदद ईंट (घटना मे प्रयुक्त)

03-एक अदद आईफोन एप्पल कम्पनी (मृतक सूरज का)

08- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक कपिल गौतम थाना बिजनौर लखनऊ
02. उ0नि0 अभिराम शुक्ला थाना बिजनौर लखनऊ
03. उ0नि0 गजय सिंह, थाना बिजनौर लखनऊ
04. उ0नि0 तेजवीर सिंह, थाना बिजनौर लखनऊ
05. उ0नि0 प्रदीप कुमार, थाना बिजनौर लखनऊ
06. उ0नि0 रविन्द्र कुमार थाना बिजनौर लखनऊ
07. हे0का0 अरुण कुमार सिंह थाना बिजनौर लखनऊ
08. का0 नेमचन्द थाना बिजनौर लखनऊ

01. उ0नि0 श्री मनोज सिंह सर्विलांस सेल दक्षिणी लखनऊ
02. उ0नि0 मनेन्द्र यादव सर्विलांस सेल दक्षिणी लखनऊ
03. हे0का0 बद्री विशाल ति
04. वारी सर्विलांस सेल दक्षिणी लखनऊ
05. हे0का0 मंजीत सिंह सर्विलांस सेल दक्षिणी लखनऊ
06. चालक परमानन्द यादव सर्विलांस सेल दक्षिणी लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-759

दिनांक-10.05.2026

जोन-पश्चिमी/ थाना- बाजारखाला

पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारने की घटना का सफल अनावरण, मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार; हत्या का प्रयास व एससी/एसटी एक्ट सहित संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत

- थाना बाजारखाला क्षेत्र में युवक को गोली मारने की घटना में मुख्य आरोपी गिरफ्तार
- पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी द्वारा की गई फायरिंग, घायल का ट्रामा सेंटर में उपचार जारी
- पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज एवं प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर आरोपी चिन्हित
- घटना के संबंध में संगीन धाराओं एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत
- पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करते हुए विधिक कार्रवाई प्रारंभ
- पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक पुलिस व्यवस्था की गई
- द्वारा नामजद एवं आरोपित किए गए अन्य व्यक्तियों की घटना में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्यों के आधार पर गहनता से जांच एवं विवेचना प्रचलित

01-कार्यवाही-

दिनांक 09.05.2026 को थाना बाजारखाला क्षेत्रान्तर्गत मेहंदीगंज में चेतन तिवारी नामक व्यक्ति को अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर भाग जाने की सूचना पर थाना बाजारखाला पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आसपास मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की गई तथा घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसमें जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त वैभव बाजपेई उर्फ कौस्तुभ बाजपेई पुत्र संतोष कुमार बाजपेई निवासी मेहंदीगंज थाना बाजारखाला लखनऊ की संलिप्तता प्रकाश में आई।

उक्त के क्रम में पुलिस टीम द्वारा तत्काल दबिश देकर अभियुक्त वैभव बाजपेई उर्फ कौस्तुभ बाजपेई को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। साथ ही घटना में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी, अन्य नामजद/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस द्वारा प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।

वादी मुकदमा द्वारा नामजद एवं आरोपित किए गए अन्य व्यक्तियों की घटना में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्यों के आधार पर गहनता से जांच एवं विवेचना की जा रही है। प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.05.2026 को समय करीब 10.00 बजे देर रात्रि में थाना बाजारखाला पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत मेहंदीगंज में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी मय पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचे।

मौके पर जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि घायल व्यक्ति श्याम चेतन तिवारी पुत्र सुरेश चन्द्र तिवारी निवासी मेहंदीगंज थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष हैं, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है।

घटना के संबंध में घायल की पत्नी मानसी तिवारी उर्फ श्वेता द्वारा थाना बाजारखाला पर तहरीर दी गई, जिसमें मोहल्ले के रहने वाले वैभव बाजपेई उर्फ कौस्तुभ बाजपेई, हर्षित बाजपेई एवं अन्य व्यक्तियों पर पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने, घर में घुसकर धमकी देने एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बाजारखाला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. वैभव बाजपेई उर्फ कौस्तुभ बाजपेई पुत्र – संतोष कुमार बाजपेई उम्र – करीब 25 वर्ष
   निवासी – मेहंदीगंज थाना बाजारखाला लखनऊ
   व्यवसाय-अभियुक्त के पिता नगर निगम में ठेकेदारी का कार्य करते हैं तथा अभियुक्त भी अपने पिता के साथ ठेकेदारी कार्य में सहयोग करता है।

अभियुक्त को पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

04-गिरफ्तारी स्थान एवं दिनांक-

थाना बाजारखाला गेट दिनांक.-10-05-2026

05-पूछताछ विवरण -

घटना के संबंध में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त वैभव बाजपेई उर्फ कौस्तुभ बाजपेई पुत्र संतोष कुमार बाजपेई निवासी मेहन्दीगंज थाना बाजारखाला, लखनऊ से पुलिस द्वारा विस्तृत पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके परिवार एवं घायल चेतन तिवारी के मध्य लंबे समय से आपसी रंजिश एवं विवाद चला आ रहा था।

अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया कि दिनांक 09.05.2026 को पुरानी रंजिश के चलते उसने चेतन तिवारी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। घटना के दौरान मौके पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति द्वारा घायल को बचाने का प्रयास किया गया, जिस पर अभियुक्त द्वारा उसके ऊपर भी फायर किया गया, हालांकि वह सुरक्षित रहा।

पूछताछ के उपरांत अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा बरामद कर कब्जे पुलिस में लिया गया है। अभियुक्त से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

06- पंजीकृत अभियोग का विवरण-

थाना बाजारखाला पर मु0अ0सं0- 91/2026 धारा 109(1), 190, 191(2), 191(3), 333, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट बनाम वैभव बाजपेई उर्फ कौस्तुभ बाजपेई व अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

07- आपराधिक इतिहास – अभियुक्त कौस्तुभ बाजपेई उर्फ वैभव बाजपेई पुत्र संतोष कुमार बाजपेई उर्फ सतीश बाजपेई निवासी 346/30 मेहदीगंज थाना बाजारखाला लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष

(1). मु0अ0सं0- 146/2023 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना बाजारखाला लखनऊ

(2). मु0अ0सं0- 161/2023 धारा 504/506 भादवि थाना बाजारखाला लखनऊ

(3). नि0का0 संख्या- 04/2024 धारा 3 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना बाजारखाला

(4). मु0अ0सं0- 254/24 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना बाजारखाला लखनऊ

(5). मु0अ0सं0- 267/24 धारा 351(3) बीएनएस थाना बाजारखाला लखनऊ

(6)- नि0का0 संख्या- 01/2025 धारा 3 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना बाजारखाला

(7). मु0अ0सं0- 61/25 धारा 115(2)/131/351(2)/352 बीएनएस थाना बाजारखाला लखनऊ

(8). मु0अ0स0-91/2026 धारा-109(1)/ 190/ 191(2)/ 191(3)/ 333/ 352/ 351(3) BNS व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(V) SC/ST एक्ट थाना बाजारखाला लखनऊ

08- बरामदगी विवरण :

घटना में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी एवं अन्य साक्ष्यों के संकलन हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए गए हैं तथा सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर लिया गया है।

09- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक थाना बाजारखाला, कमिश्नरेट लखनऊ
02. थाना बाजारखाला पुलिस टीम
03. चौकी/बीट पुलिस टीम एवं अन्य पुलिस बल